

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर दिनांक 27 SEP 2023


::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, उच्च सरकार, एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कोलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समस्त विधायकीय कार्यों को सीधे निपटाने हेतु कोलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान कोलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर	अपर जिला न्यायाधीश, बाजूवाल जिला अनुपमठ	बाजूवाल
2	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश, बालेसर	बालेसर

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जावेगी।

राजस्थान के आदेश से,

  
(राजेंद्र कुमार गुप्ता)  
प्रमुख सचिव

**RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR**

No. Gen./II/23/23/1624.

Date: 13/10/2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The District & Sessions Judge, Bikaner/ Jodhpur Dist.
3. The concerned Additional District & Sessions Judge through District & Sessions Judge.
4. The Chief Judicial Magistrate, Bikaner / Jodhpur District
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.

  
REGISTRAR (RULES)